ालय उपखण्ड .... कठूमर (अलवर) राज.

.... प्रा० पत्र स्थगन तारीख रजू ....

भरोसी व रामभरोसी **बनाम** मोहन सिंह

...ख ...हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	29.3.19 वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रा० पत्र स्थगन वकील प्रार्थी ने मूल प्रा० पत्र 251(क) के साथ पेश किया दर्ज पंजिका हो प्रार्थी मर्द नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 30/5/19 को पेश हो।	68 30/5/19
30/5/19	वकील प्रार्थी उपस्थित साबिक आदेश दिनांक 29/3/19 की पालना में पत्रावली वास्ते इन्तजार तलबी दिनांक 27/6/19 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
27/6/19	वकील प्रार्थी उपस्थित। साबिक आदेश दिनांक 29/3/19 की पालना में पत्रावली वास्ते इन्तजार तलबी दिनांक 8/8/19 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
8/8/19	वकील प्रार्थी उपस्थित साबिक आदेश दिनांक 29/3/19 की पालना में पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 21/10/19 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

म्बर व तारीख ाम जो इस हुक्म मील में जारी हुए

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8.4.22	वकीलान .... उपस्थित। सम्बन्धित आदेश दिनांक 10.9.22 की पालना में आज भी बाकी [illegible] को दिनांक 29/4/22 को पेश हो [illegible]	
29.4.22	वकीलान .... उपस्थित। सम्बन्धित आदेश दिनांक 10.9.22 की पालना में आज भी बाकी [illegible] दिनांक 20/5/22 को पेश हो [illegible]	
20/5/22	वकीलान .... उपस्थित। सम्बन्धित आदेश दिनांक 10.9.22 की पालना में आज भी बाकी [illegible] दिनांक 27/5/22 को पेश हो [illegible]	
27/5/22	वकीलान .... उपस्थित। सम्बन्धित आदेश दिनांक 10.9.22 की पालना में आज भी बाकी [illegible] दिनांक 06/6/22 को पेश हो [illegible]	
6/6/22	पत्रावली आज मूल वाद के साथ पेश हुई। वकीलान उपस्थित। अतः उक्त पत्रावली के संबंधित मूल वाद खारिज हो चुका है अतः प्रा०पत्र चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र [illegible] खारिज किया जाता है। पत्रावली में मल (?) मुक्त होकर [illegible] बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे। (?) [signature] उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामकिशोर मीना आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 03 / 03 / 2019

वउनवान

1. भरोसी उर्फ रामभरोसी पुत्र नानगा जाति माली निवासी सौंखर
2. प्रेम पुत्री नानगा जाति माली निवासी सौंखर तहसील कठूमर
3. कमला पुत्री नानगा जाति माली निवासी सौंखर तहसील कठूमर हालवासी बल्लभगढ तहसील भुसावर जिला भरतपुर

प्रार्थी

बनाम

1. मोहरसिह पुत्र दयालुराम जाति माली निवासी सौंखर तहसील कठूमर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर टी एक्ट

उपस्थित–

श्री नीरज अवस्थी अधिवक्ता –प्रार्थीयान की ओर से

श्री सुभाशचन्द अर्रूवा– अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से

आदेश

दिनांक 06.06.2022

प्रार्थीयान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर टी एक्ट के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीयान की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1868 / 2128, 1867 / 2126, 1867 / 2126 / 1 एंव रास्ता खसरा नम्बर 1867 / 2126 / 2 पास पास में ग्राम सौंखर तहसील कठूमर में स्थित है। अप्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 1868 / 2128 वाके ग्राम सौंखर खेरली से जाने वाले सौंखर रोड पर स्थित है। इसके तरफ दक्षिण में प्रार्थीयान एंव अप्रार्थी की शामलात आराजी खसरा नम्बर 1867 / 2126 है। जिसका दिनांक 11.06.2018 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर द्वारा प्रार्थी एंव अप्रार्थी की सहमति से कुरेजात रिपोर्ट तलव कर

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

बंटवारे की अंतिम डिक्री जारी कर दी थी। जिसमें खसरा नम्बर 1867/2126 तरफ उत्तर अप्रार्थी मोहरसिंह के हिस्से में आया तरफ दक्षिण वाला खसरा नम्बर 1867/2126/1 प्रार्थीयान के हिस्से में आया तथा खसरा नम्बर 1867/2126/1 प्रार्थीयान एंव अप्रार्थी के आवागमन के लिये गैर मुमकिन रास्ता कायम कर दिया जिस रास्ता को दोनों पक्ष आवागमन के लिये उपयोग एंव उपभोग में लेते चले आ रहे है। अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 1868/2128 वाके सौंखर जो डावर रोड के सहारे है में भी पहले से ही प्रार्थीयान की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1866/2123, 1867/2126 वाके सौंखर में आने जाने के लिये कदीमी रास्ता कायम वो जारी है जिसका राजस्व रकार्ड के रास्ते में भी डोट डोट से तरमीम कर अलग से दर्शित किया गया है। खसरा नम्बर 1867/2126 मे भी कदीमी रास्ता कायम व जारी था। जिसको पहले नक्शे में डोट डोट तरमीम कर राजस्व रेकार्ड में दर्शित कर रखा था। जिसमें न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर द्वारा दिनांक 11.06.2016 को अंतिम डिक्री जारी कर नया खसरा नम्बर 1867/2126/2 सौंखर गै0मु0 रास्ता कायम व जारी कर दिया। लेकिन मुख्य सडक मार्ग से प्रार्थीयान की आराजी खसरा नम्बर 1866/2123 वाके ग्राम सौंखर में जाने के लिये अप्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 1866/2128 वीच में पडती है उक्त आराजी के राजस्व रेकार्ड में अंकित कदीमी रास्ता बरंग सुर्ख वहरफ ए बी सी डी प्रार्थना पत्र का विवादित रास्ता है। जिसका मौका नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया गया है। इस बरंग सुर्ख रास्ता में अप्रार्थी प्रार्थीयान के आवागमन में आये दिन व्यवधान पैदा करता है तथा कदीमी रास्ता बरंग सुर्ख का जोत कर अपने खेत खसरा नम्बर 1868/2128 में मिलाकर किसी दीगर सख्स को रहन वय मुन्तकिल करने की जुस्तजु में है। अप्रार्थी बरंग सुर्ख रास्ता में तारबन्दी कर रोकने का प्रयास करता है। पहले अप्रार्थी ने उक्त रास्ता पर तारबन्दी कर रास्ता रोक दिया था जिसे तहसीलदार कठूमर के यहां शिकायत करने पर पटवारी हल्का ने तारबन्दी हटवाकर रास्ता चालू कराया था। लेकिन इसके वावजूद भी अप्रार्थी उक्त रास्ता में अवरोध कर जोत कर तारबन्दी कर कब्जा कर बन्द करना चाहता है। इससे प्रार्थीयान को काफी नुकशान व अदालत के आदेश की अवहेलना होगी। इस रास्ता के अलावा प्रार्थीयान की अराजी को जाने जाने के लिये और कोई रास्ता नहीं है। अतः प्रार्थीयान ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

आराजी खसरा नम्बर 1868 / 2128 वाके ग्राम सौंखर में होकर जारी कदीमी रास्ता मुताविक राजस्व रेकार्ड के नक्शा के एंव पे शकर्दा नजरी नक्शा रास्ता को कायम एंव जारी कराया जावे व अप्रार्थी को पाबन्द किया जावे कि वो बरंग सुर्ख रास्ता को जोत कर अपने खेत में मिलाकर दीगर लोगों को वेचान ना करे। रास्ता पर कच्चा पक्का निर्माण ना करे। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर के आदेश दिनांक 11.06.2018 को नया रास्ता खसरा नम्बर 1867 / 2126 / 2 वाके सौंखर तहसील कठूमर कायम कर नया रास्ता जारी किया है में अप्रार्थी किसी किस्म का अवरोध पैदा ना करे व मौका एंव रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलव किया गया।

अप्रार्थी ने हाजिर अदालत होकर अपना जवाव प्रार्थना पेश कर कथन किया कि प्रार्थीयान ने अपने प्रार्थना पत्र में तमाम तथ्य गलत एव मिथ्या दर्ज कराये है। अदालत श्रीमान द्वारा पारित डिकी दिनांक 11.06.2018 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर में लम्बित है। मौके पर खसरा नम्बर 1867 का कोई बंटवारा नहीं हुआ है तो खसरा नम्बर 1867 / 2126 मोहरसिंह के व खसरा नम्बर 1867 / 2126 / 2 प्रार्थीयान के हिस्से वो कब्जे में आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है और ना ही खसरा नम्बर 1867 / 2126 / 2 मौके पर कोई रास्ता है। खसरा नम्बर 1866 / 2123, 1867 / 2126 के लिये खसरा नम्बर 1868 / 2128 में होकर कदीमी रास्ता कायम एंव जारी नहीं है। राजस्व रेकार्ड में डॉट डॉट के निशान किस अधिकारी ने किस न्यायालय के आदेश से दर्ज किया है यह दर्ज नहीं किया है। जवाव के साथ नकल मिलान क्षैत्रफल व पुराने नक्शे की नकल पेश की है। खसरा नम्बर 1868 में होकर कभी रास्ता नहीं रहा। न्यायालय श्रीमान द्वारा पारित निर्णय एंव डिकी दिनांक 11.06.2018 मिन प्रार्थी की विना सहमति के पारित की गई थी। जिसकी अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के न्यायालय में विचारधीन है। जिसमें दिनांक 29.10.2018 को अदालत श्रीमान के निर्णय एंव डिकी के प्रचलन को स्थगित किया हुआ है। खसरा नम्बर 1868 / 2128 तन्हा मिन प्रार्थी के कब्जे का त खातेदारी की आराजी है जिसमे होकर रास्ता बरंग सुर्ख वहरफ ए बी सी डी कभी नहीं रहा। मौके पर कोई रास्ता मौजूद नहीं है। मौका नक्शा मौके

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

नक्शे में दर्शित बरंग सुर्ख स्थान पर मिन प्रार्थी ने एक प्लाट 35 बाई 100 फुट जरिये ईकरारनामा दिनांक 19.09.2022 को परभाती पुत्र मंगतू जाति माली निवासी सौंखर को जरिये नकद जरे वय लेकर वेचान कर कब्जा मौके पर खरीदार को संभला दिया है जिस पर केता परभाती काविज है। अपनी सुविधानुसा उपयोग एंव उपभोग में ले रहा है। प्रार्थीयान ने सही तथ्यों को छुपाकर गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है सायल को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है। प्रार्थीयान ने अप्रार्थीको नाहक परेशान करने के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो खारिज किया जावे।

प्रार्थीयान ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077, किता 3 छाया प्रति आदेश दिनांक 11.06.2018 पटवारी हल्का सौंखर की पर्चा रिपोर्ट पेश की हैं तथा अप्रार्थी ने अपने जवाव प्रार्थना पत्र की ताइद में नकल मिलान क्षेत्रफल, नक्शा ट्रेस मसावी, नकल आर्डर सीट अपील वउनवान नाहरसिंह बनाम भरोसी छाया प्रति ईकरारनामा पेश किये है जो शामिल पत्रावली है।

विद्वान अधिवक्तागण वकुलाय की वहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी वहस के दौरान अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया व प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी वहस के दौरान अपने जवाव प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया व प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड व जवाव प्रार्थना पत्र के तथ्यों का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्तागण की वहस पर मनन किया। सायलान ने आराजी खसरा नम्बर 1868/2128 वाके ग्राम सौंखर में होकर कदीमी रास्ता होना कथन किया है अप्रार्थी की खातेदारी की दर्ज रेकार्ड आराजी है। अप्रार्थीयान द्वारा प्रस्तुत नक्शा मसावी में होकर उक्त आराजी में कोई रास्ता व डोट डोट के नि ानात नहीं है। लेकिन प्रार्थीयान द्वारा प्रस्तुत नक्श्खा ट्रेस में उक्त खसरा नम्बर के तरफ उत्तर में जो डोट डोट के निशानात कायम किये गये है वो किस आधार पर कायम किये है इसे प्रार्थीयान ने सावित नहीं किया है। उक्त आराजी में होकर प्रार्थीयान की आमद रफत हो या कोई रास्ता हो इसके लिये प्रार्थीयान ने कोई

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

प्रमाणित दस्तावेज पेश नहीं किया है। जहां तक अदालत हाजा के निर्णय एंव डिक्री का प्रश्न है। अप्रार्थी ने न्यायालय हाजा के निर्णय एंव डिक्री दिनांक 11.06.2018 की अपील न्यायालय राजस्व प्राधिकारी अलवर के न्यायालय में की हुई है जिसमें अदालत हाजा की निर्णय एंव डिक्री का प्रचलन स्थगित किया हुआ है जिसकी न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर में विचाराधीन अपील की दिनांक 29.10.2018 से दिनांक 08.03.2021 तक की आदेशिका की सत्य प्रतिलिपी पेश की है। खसरा नम्बर 1868/2128 वाके ग्राम सौंखर अप्रार्थी की खातेदारी की दर्ज रेकार्ड आराजी है जिस में होकर प्रार्थीयान का रास्ता नहीं है। अतः प्रार्थीयान अपने प्रार्थना पत्र 251 क को सावित करने में असफल रहे है। अतः प्रार्थीयान का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

रामकिशोर मीना
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

आज दिनांक 06.06.2022 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

रामकिशोर मीना
उपखण्ड अधिकारी कठूमर